

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

क्रमांक: प.25(2)चि.स्वा./गुप-2/2018  
निदेशक (जन स्वा.)

जयपुर, दिनांक : 26.07.2019

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।


विषय:-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर का नामकरण किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख हे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर का नामकरण " स्वर्गीय पार्वती देवी अग्रवाल राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर " किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर के निर्मित भवन का दानविलेख निष्पादन नियमानुसार विभाग के हित में करवाया जावे।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर की भूमि का रजिस्ट्रेशन संबंधित उप पंजीयन कार्यालय में निमयानुसार दर्ज करवाकर मूल पट्टे सहित चिकित्सा विभाग को सुपुर्द किया जावे।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर के भवन का स्वामित्व भविष्य में राज्य सरकार का ही रहेगा।
4. अस्पताल का संचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का ही रहेगा।
5. Rules Regarding acceptance of Donation and Charities from private individuals of public Bodies for Medical Purpose के नियमों की पालना सुनिश्चित करावें।
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर का नामकरण " स्वर्गीय पार्वती देवी अग्रवाल राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर " के नाम से रहेगा।

भवदीय,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
8. दानदाता श्री केवलकृष्ण अग्रवाल ग्राम मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर।
9. एकल पत्रावली डी-470 दिनांक :-15.07.19
10. रक्षित पत्रावली

(रामेश्वर लाल चौधरी)  
वरिष्ठ लेखाधिकारी


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

कमाक एफ (86) नामाकरण/योजना/विकास/2019/ 529

दिनांक - 2.8.19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एनएचएम), मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को भेजकर लेख है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावर पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर के नामाकरण की स्वीकृति अनुसार पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावर पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर को स्वीकृति अनुसार पालनार्थ हेतु।
5. दानदाता श्री केवलकृष्ण अग्रवाल, ग्राम मुण्डावरा पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर।
6. प्रभारी, सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को संबंधित अधिकारियों एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
7. आदेश/रक्षित पत्रायली।

  
28/19  
संयुक्त निदेशक (योजना)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर